पत्रांक–5/वि.1–06/2009 उ0शि0 966 दिनांक–26.05.2015
झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

संकल्प

विषयः–झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को यू0जी0सी0 पैकेज के अनुरुप छठा पुनरीक्षित वेतनमान एवं सेवा शर्त्त की स्वीकृति संबंधी निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–1188, दिनांक–20.11.2010 की कंडिका-12(iii) का विलोपन।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-F.-1-32/2006U-ii/U,1 (i) दिनांक–31.01.2008 तथा पत्रांक-F.-1-32/2006U-ii/U,1 (ii) दिनांक–31.12.2008 द्वारा प्राप्त मार्गदर्षन के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1188 दिनांक–20.11.2010 द्वारा झारखण्ड राज्य विष्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ स्नातक स्तरीय अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) में कार्यरत षिक्षकों एवं पदाधिकारियों को यू0जी0सी0 का छठा पुनरीक्षित वेतनमान एवं सेवा शर्त की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उपर्युक्त संकल्प की कंडिका–12(iii) में निम्नलिखित प्रावधान हैः–

"विभागीय पत्रांक–356, दिनांक–13.11.2001, जिसके द्वारा पंचम पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया गया था, की कंडिका–तीन में यह व्यवस्था की गई थी कि पूर्व के सभी परिनियिम एवं विष्वविद्यालय अधिनियम को यू0जी0सी0 के मानकों के अनुरुप संषोधित किया जाएगा। पंचम पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने के संबंध में निर्गत विभागीय पत्र संख्या–356, दिनांक–13.11.2001 में ऐसे गैर यू0जी0सी0 योग्यता वाले षिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण का लाभ इस शर्त के साथ दिया गया था कि उन्हें वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अगली प्रोन्नति तब–तक देय नहीं होगी, जब तक कि वे यू0जी0सी0 मानक के अनुरुप अपनी योग्यता एवं अर्हता प्राप्त नहीं कर लेते। विष्वविद्यालय/महाविद्यालय के ऐसे षिक्षक जो यू0जी0सी0 मानक के अनुसार योग्यता नहीं रखते हैं, परन्तु जिन्हें परिनियमों के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति दे दी गयी है, ऐसे षिक्षक पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु वेतन निर्धारण के क्रम में उन्हें प्रतिस्थानी वेतन के मूल वेतन का ही लाभ देय होगा तथा ग्रेड पे मिला कर मिलने वाले कुल राषि का अन्तर "पे प्रोटेक्षन" के रुप में प्राप्त होगा तथा जबतक वे यू0जी0सी0 मानक के अनुरुप अर्हता प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब–तक उन्हें वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ देय नहीं होगा।"

3. विष्वविद्यालय कर्मियों के सेवा संबंधी सामान्य शर्तो से संबंधित परिनियम के अनुच्छेद–22(1) में निम्नवत् प्रावधान है "An increment shall ordinarily be drawn by the University servant as a

matter of course, unless it is withheld by the authority empowered to appoint him, as a measure of punishment."

4. विभागीय संकल्प संख्या–1188, दिनांक–20.11.2010 की कंडिका–12(iii) में अंकित प्रावधानों जिनके द्वारा गैर पी0एच0डी0 योग्यताधारी कालबद्ध प्रोन्नति प्राप्त उपाचार्यो (Readers) के वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगायी गयी, के विरुद्ध कतिपय षिक्षकों द्वारा माननीय उच्च नयायालय में याचिका दायर की गयी, जिनमें से कई में माननीय न्यायालय द्वारा वादियों के पक्ष में निर्णय दिया गया। इस तरह के एक मामले डब्लू0पी0एस0 (एस0) नं0–3632/2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–04.07.2013 को पारित न्यायादेष की कंडिका–18 में निम्नवत् observation दिया गया हैः–

"Since the petitioners are entitled to get annual increment under the provisions of Article 22 of the Statutes, the said Clause-12 (iii), Imposing a condition contrary to the said provisions, is wholly arbitrary, discriminatory and violative of Article-14 of the Constitution of India." साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने अपने उक्त न्यायादेष के द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1188 दिनांक–20.11.2010 की कंडिका–12 (III) को रद्द कर दिया है।

5. वर्णित स्थिति में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1188, दिनांक–20.11.2010 की कंडिका–12 (iii) को विलोपित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था। सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक संख्या–1188, दिनांक–20.11.2010 की कंडिका–12(iii) को विलोपित करने का निर्णय लिया है। संकल्प संख्या–1188, दिनांक–20.11.2010 के अन्य कंडिकाएँ पूर्ववत् रहेंगी।

6. आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेष से

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/वि.1–06/2009 उ0षि0 966 राँची, दिनांक–26.05.2015

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट में प्रकाषनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 200 (दौ सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव।